2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सनवर हुसैन बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 03/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-02-2022	अपीलार्थी सनवर हुसैन पुत्र मो. साबिर पता शफी बिल्डिंग के सामने, सूरसागर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.11.2021 में उसके द्वारा (1) सूरसागर जोधपुर दंगा पीड़ित प्रार्थी सनवर हुसैन द्वारा आपके विभाग में दिनांक 3/6/2019, 16/12/2020, 28/12/20, 29/12/20, 14/1/2021, 11/2/2021, 5/4/21 तक परिवाद भेजे गए पिर आपके विभाग द्वारा किया गया पत्राचार एवं उन पत्रों पर जबाब/कार्यवाही, कार्यालय टिप्पणी आदेशिकांए व पालना रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर,) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1388 दिनांक 27.10.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा को धारा 5(4) के तहत पत्रांक 1468 दिनांक 18.11.2021 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन्हें धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए, प्रार्थी को सूचना उालब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने की प्रार्थना की। चूंकि प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित सूचना होने एवं उनके द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.08 14:23:42 IST
Reason: SelfAttested